

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजेपयी,
विशेष सचिव,
उप्रोक्त शासन।

सेवा मं

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
ठोप्र०, लखनऊ।
रोजगार एवं गरीबी
पर्याप्ति विभाग।

सत्यम् विभाग।

નિર્માલન કાયપ્રામ પિમાળા

लखनऊ : दिनांक ३ मार्च, 2018

विषयः शहरी क्षेत्रों का उ

अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों का पूरा करने हेतु अनुदान अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधिकानि धनराशि से जनपद-मेरठ की 01 परियोजना हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4740/76/एक/एवीएमवीवाइ/2015-16, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा, मेरठ के पत्र संख्या-1026/इडा मेरठ/17-18 दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में 2017 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मरठ, न००५०, मुहम्मदाबाद गोहना, की 08 वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मरठ, न००५०, मुहम्मदाबाद गोहना, की 08 परियोजनाओं, जनपद-बिजनौर की न००५०, किरतपुर व जलालाबाद तथा न००३००५०, नगीना व नजीबाबाद परियोजनाओं, जनपद-मेरठ की न००५०, किठौर की 01 परियोजना अर्थात् उक्त तीनों जनपदों की 06 परियोजनाओं एवं जनपद-मेरठ की न००५०, किठौर की 01 परियोजना कार्य से सम्बन्धित 15 विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 15 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-2100/69-1-2013-87(बजट)/2013, दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा प्रतिशत रु० 396.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत रु० 198.23 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त प्रतिशत रु० 198.23 लाख की कार्यों को पूर्ण करने हेतु जनपदों में केवल जनपद-मेरठ की न००५०, किठौर की 01 परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० 17.125 लाख (रूपये सवाह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की विवरणित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।

प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तका खण्ड-6 के भृत्याय-12 के प्रस्तर-318 में दर्जित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी शैक्षिकी अवश्य प्राप्त कर लौ जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जायेगा।

3

सूक्ष्मशः.....2

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
१	मेरठ	न०पं० किठौर	मो० नई बस्ती (इस्लामाबाद) में इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.25	17.125
			योग	34.25	17.125

(रूपये सत्रह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र)

(अधिलालन्द ब्रह्मचारी)

मनु सचिव।